अपील सूचना अधिकार संख्या 93/2021 (GCMS 2021/149) RTI No. 212253368953144 श्री बंशीलाल पुत्र श्री हेतराम बिश्नोई गांव भागसर पोस्ट ऑफिस प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा (हनुमानगढ़)–335803 बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

20.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बंशीलाल आज उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.2021 से तहसीलदार, सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.09.2021 को पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. गांव ठेठार, पटवार हल्का ठेठार (तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर) में श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई के नाम खसरा नम्बर 77/4 में 35 बीघा रकबा आरजी काश्त पर आवंटन होता चला आ रहा था, जिसका पट्टा गुम हो जाने के कारण वर्ष 1977 से तहसीलदार उपनिवेशन सूरतगढ / तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ [illegible] बीघा रकबे का नवीनीकरण किया गया (संलग्न [illegible]) संबंधित नवीनीकरण [illegible]) [illegible] हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई के नाम खसरा नम्बर 77/4 में 35 बीघा आरजी काश्त पर आवंटित उक्त भूमि जिसका बाद में वर्षों में 25 बीघा हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:24:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नवीनीकरण किये जाने एवं उक्त 35 बीघा भूमि के संबंध में प्रारम्भ में आज दिनांक तक की गई कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रावली नियमों एवं संबंधित नोटशीटों का अवलोकन करावें।

2. गावं ठेठार, पटवार हल्का (तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर) में श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई को खसरा नम्बर 77/4 में आवंटित 2.277 हैक्टेयर भूमि के खातेदारी अधिकार पत्र सं. 08/1947 दिनांक 22.08.2008 में तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ (संलग्न संबंधित दस्तावेज) द्वारा संबंधित पटवारी का तरमीम किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त की पालना में श्री हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई को खसरा नम्बर 77/4 में आवंटित 2.277 हैक्टेयर भूमि की तरमीम किये जाने से संबंधित दस्तावेजों एवं नोटशीटों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करावें।

3. गांव ठेठार, पटवार हल्का ठेठार, (तहसील सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर) में भी हेतराम पुत्र श्री लाधुराम जाति बिश्नोई के नाम खसरा नम्बर 77/4 में आवंटित 2.277 हैक्टेयर भूमि की राजस्व पटवारी, पटवार मण्डल, ठेठार त. सूतरगढ द्वारा दिनांक 09.10.19 को जारी जमाबन्दी में ई.न. 428/09.01.15 अंकित किया गया है, उक्त ई.न. 428/09.01.15 से संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। (संलग्न संबंधित जमाबन्दी प्रति)

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:24:43 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक सीजी /वाचक/21/10[illegible] दिनांक 15.09.2021 से अपीलार्थी की अपील के सम्बन्ध में टिप्पणी मय कार्यालय का रिकॉर्ड चाहा गया था जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> **<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील तहसीलदार(राजस्व), सूरतगढ को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और तहसीलदार(राजस्व), सूरतगढ को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में वांछित सूचनओं पर, सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार निर्णय लेकर प्रार्थी को सूचित करें। [illegible](राजस्व), सूरतगढ को **पालनार्थ भिजवाई जावे [illegible] निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली [illegible] दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:24:43 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर